

पत्रावली सं० 1/2021 सरकार बनाम सुलदीप सिंह

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
23/02/2021	<p>आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री सुलदीप सिंह पुत्र श्री विष्णु लाल जाति राजस्थान निवासी 1 BWM 'A' में फसल रबी/खरीफ सन् 2022 में गांव/चक नं० 1 BWM 'A' के मु० नं० 10 389 में 2.909 ए० बीघा सिंचित व असिंचित कुल 2.909 ए० बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध कारत की है।</p> <p>अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील के उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक फर्तीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>यह राजकीय भूमि पर अवैध कारत करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्ररनगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कारत की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जप्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की 50 गुणा गुणा पेनल्टी राशि रू० 1164/- अखरे रू० 175 राश्या 135/- अधिशेषित की जाती है।</p> <p>श्री अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्ध फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी० आर० ए० को पेनल्टी की मांग क्लायत कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्ररनगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावे।</p>	

2020-2021  
235  
1164/-

उप तहसीलदार  
तहसीलदार (पंचजस)  
जिला सीएमओ  
रायसिंहनगर